

नाले से शव तलाशने के दौरान आरोपी ने की पुलिस की पिस्टल छीन भागने की कोशिश

# साढ़े तीन साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

कापसहेड़ा इलाके से एक साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची को अगवा करने के बाद हवस का शिकार बनाया गया। इसके बाद उसकी हत्या कर शव नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने कई घंटों की मशकत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर बच्ची का शव नाले से बरामद हो गया। आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर फायर किया, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। गोली उसके पैर में लगी है। आरोपी पीड़ित परिवार का पड़ोसी है। फिलहाल उसे इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।



कॉलर ने बताया कि पड़ोसी मेरी लड़की को उठा कर ले गया है, उसने शिवा टि-शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हैं। कॉल मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची व

सैल्फ डिफेंस में पुलिस ने चलाई गोली, पैर में लगने से घायल हुआ आरोपी

आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बच्ची के माता-पिता ने बताया कि वह पिछले पांच साल से यहां अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहे हैं। 22 मई को शाम करीब छह बजे शिकायतकर्ता की बेटी अपने घर के सामने खेल रही थी। तभी उनके पड़ोस में रहने वाले अनिल ने लड़की का अपहरण कर लिया। लड़की और आरोपी का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। टीम ने आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। एक कैमरे में शाम लगभग सात बजकर पांच मिनट पर आरोपी को लड़की के साथ नाले की ओर जाते हुए देखा गया। उसी कैमरे में वह लगभग सवा सात बजे

लड़की के बिना अकेले वापस लौटते हुए भी दिखा। आरोपी की तलाश में कई मार्गों पर वाहनों की जांच भी की गई। आखिर में रात लगभग 11:55 बजे कानपुर की ओर जा रही एक बस से उसे दबोचा गया। शुरुआत में अनिल ने अपहरण की घटना में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन लगातार पूछताछ करने पर वह टूट गया। उसने बच्ची की हत्या कर शव गुरुग्राम और कापसहेड़ा की सीमा पर एक नाले में फेंक दिया था। कई घंटों की तलाशी अभियान के बाद आखिरकार लड़की का शव नाले से बरामद कर लिया गया। उसी दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की। उसने एक पुलिसकर्मी की सर्विस रिवॉल्वर भी छीन ली और पुलिसकर्मीयों पर फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की और गोली आरोपी के पैर में लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

## बिभव कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

एजेसी नई दिल्ली



राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार को शुकुवार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल के निजी सहायक कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। वह शनिवार से पुलिस की हिरासत में हैं।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोलयल ने कुमार की चार दिन की न्यायिक हिरासत के अनुरोध संबंधी अभियोजन पक्ष के आग्रह को स्वीकार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने 18 मई को कुमार को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने अपने रिमांड आवेदन में कहा कि जांच के दौरान गवाहों के बयानों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक, वैज्ञानिक और चिकित्सा साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि बरामद नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एनवीआर) में वर्तमान मामले से संबंधित प्रसंगिक सामग्री होने की बात कही गई है, जिसे प्रक्रिया के अनुसार जब्त कर लिया गया है और इसे फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा जांच और विश्लेषण के लिए भेजा गया है। इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और इसके जल्द ही प्राप्त होने की उम्मीद है। आवेदन में दावा किया गया है कि कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों का जवाब देने में टाल-मटोल कर रहे हैं और अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले की जांच कर रही टीम मुंबई में है और उसके जल्द ही लौटने की संभावना है। कुमार के वकील ने एक आवेदन दायर कर उस दिन के केजरीवाल के आवास से एकत्र किए गए सीसीटीवी फुटेज की एक प्रति मांगी, जब मालीवाल से कथित तौर पर मारपीट की गई थी। विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस स्तर पर आरोपी को तहत आरोपी को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। अदालत ने कुमार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

## जानकार महिला की सिम पोर्ट कर लाखों की टगी करने वाला दबोचा

हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

साइबर पुलिस नॉर्थ ने एक युवक को जानकार महिला के साथ धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसने पीड़ित के सिम को पोर्ट कर यूपीआई आईडी के जरिये एक लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की थी। आरोपी का नाम सचिन कुमार (19) निवासी सरकी, जिला बदायूँ, उत्तर प्रदेश बताया गया है। दिल्ली में वह जुलाहा बस्ती, बुराड़ी में रह रहा था। आरोपी को बुराड़ी से ही पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार एक महिला को सिम पोर्ट कर केस दर्ज किया गया था। उनके खाते से केवल दो दिनों के भीतर 1.30 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिये गये थे। जांच के दौरान, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, आईएमईआई और मनी ट्रेल्स का विस्तृत तकनीकी विश्लेषण किया गया। बैंक खातों का भी विश्लेषण किया गया। पता चला कि जालसाज ने एक रैपिडो बाइक बुक की थी। उसने शिकायतकर्ता के फोनपे यूपीआई के माध्यम से रैपिडो ड्राइवर को पैसे का भुगतान किया था।



था। रैपिडो ड्राइवर जांच में शामिल हुआ और उसके माध्यम से जांच टीम बुराड़ी तक पहुंची। इसके बाद 22 मई को बुराड़ी में छापेमारी कर सचिन नामक युवक को पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान, आरोपी सचिन कुमार ने खुलासा किया कि उसने डेस्कटॉप पब्लिशिंग (डीटीपी) और वेब डिजाइनिंग कोर्स किया है, जिसमें उसने सोशल नेटवर्किंग साइट्स और तकनीकी गैजेट्स को हँडल करने वाले सभी गुर सीखे थे। हाल ही में उसकी परिचित महिला ने अपना मोबाइल अपडेट करने के लिए उससे कहा, तो आरोपी को टीगी का आईडिया आया। उसने पीड़ित महिला के मोबाइल नंबर का यूनिफ पोर्टिंग कोड कॉपी कर लिया और एक अलग आधार कार्ड पर एक नया सिम जारी करवा लिया। फिर अपने मोबाइल का उपयोग करके, कथित तौर पर पीड़ित महिला की आईडी दर्ज करके फोनपे ऐप में लॉगिन किया। यूनिफ नंबर कथित मोबाइल फोन में चल रहा था, इसलिए फोनपे ऐप द्वारा सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया। इसके बाद सचिन ने सारी रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर ली।

लिफ उससे कहा, तो आरोपी को टीगी का आईडिया आया। उसने पीड़ित महिला के मोबाइल नंबर का यूनिफ पोर्टिंग कोड कॉपी कर लिया और एक अलग आधार कार्ड पर एक नया सिम जारी करवा लिया। फिर अपने मोबाइल का उपयोग करके, कथित तौर पर पीड़ित महिला की आईडी दर्ज करके फोनपे ऐप में लॉगिन किया। यूनिफ नंबर कथित मोबाइल फोन में चल रहा था, इसलिए फोनपे ऐप द्वारा सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया। इसके बाद सचिन ने सारी रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर ली।

## पश्चिम बंगाल का एजेंट बनाता था जाली दस्तावेज



हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने नकली आधार कार्ड व पैन कार्ड बनाने के आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। इसने एक बांग्लादेशी नागरिक को भारतीय पहचान देकर कुवैत भेजने का प्रयास किया था। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट की व्यवस्था की गई थी। बांग्लादेशी नागरिक 2003-04 में अवैध रूप से भारत आया था और यहाँ रहने लगा था।

आईजीआई पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार एजेंट का नाम राशिद सिराजुल मुल्ला है। वह उत्तर 24 परना, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इसके खिलाफ गत वर्ष 23 नवंबर को आईजीआई हवाई अड्डा पुलिस ने केस दर्ज किया था। आरोपी ऐसे सिंडिकेट में शामिल था जो बांग्लादेशी नागरिकों के नकली भारतीय दस्तावेज तैयार कर उन्हें विदेश भेजने में मदद करता था।

## सेप्टिक टैंक में पाइप लगाने उतरे दो की मौत

हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

दक्षिण पूर्वी जिले के सरिता विहार इलाके में शुक्रवार दोपहर सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दो लोगों की मौत हो गई। एक मृतक का नाम राजप्रकाश सिंह (60) बताया गया है। दूसरे की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमॉर्टम के लिये एमएस भिजवाये हैं। फिलहाल मकान मालिक इकबाल फरार है। पुलिस के अनुसार दोपहर



लगायत एक बजकर सात मिनट पर पीसीआर कॉल प्राप्त हुई कि पुराना

जसोला गांव में दो आदमी गटर में गिर गए हैं। थाना सरिता विहार की

## अलीपुर के बैंकवेट हॉल में लगी भीषण



हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

अलीपुर इलाके के एनएच44 स्थित कार्निवल बैंकवेट हॉल में शुक्रवार दोपहर भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। गाड़ियों आग पर काबू पाने में घंटों जुटी रही। घटना

धुएँ के कारण हाईवे पर लंबा लगा जाम

का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग की ऊंची-ऊंची लपटें देखी जा रही है। धुएँ के कारण हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। दमकल विभाग के अनुसार

अलीपुर इलाके के एक बैंकवेट हॉल में आग लगने की सूचना दोपहर लगभग 2:00 बजे मिली थी। फायर डा यर क्टर अतुल गर्ग ने बताया कि मौके पर 13 फायर की गाड़ियाँ आग बुझाने के लिए भेजी गईं। साथ ही 65 से ज्यादा फायर कर्मों आग बुझाने में जुटे रहे। राहत की बात यह रही कि आग में किसी के हाताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

## व्हाट्सएप ट्रेडिंग स्कैम से लगाया था 23 लाख का चूना, दो अरेस्ट



हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली

उत्तरी जिले की साइबर पुलिस ने 23 लाख से ज्यादा की टगी में शामिल एक युवा जोड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्हाट्सएप ट्रेडिंग स्कैम में शामिल थे। लोगों को स्टॉक मार्केट में निवेश पर हाई रिटर्न का झांसा देते थे। आरोपियों के नाम जय पाल (26) और भूपेन्द्र (24) हैं। दोनों जिला हनुमानगढ़, राजस्थान के रहने वाले हैं।

पुलिस के अनुसार सुमित शर्मा नामक शख्स ने धोखाधड़ी वाली ट्रेडिंग स्क्रीम के झांसे में आकर 23 लाख 30 हजार रुपये की टगी के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी।

दरअसल ठगों ने उन्हें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजिस्ट सेंटर नामक एक व्हाट्सएप ट्रेडिंग ग्रुप में जोड़ा गया था। समूह की वेबसाइट के माध्यम से शेरों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था। विश्वास बनने के बाद बड़ी राशि का निवेश कर दिया और टगी का शिकार हो गये। पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को जयपुर से दबोच लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी व्यक्तियों ने टगी में संलिप्तता स्वीकार ली और खुलासा किया कि उन्होंने जालसाजों के एक बड़े नेटवर्क के साथ काम किया है।

क्र. सं.	विवरण	अंकेक्षित 31 मार्च, 2024	अंकेक्षित 31 मार्च, 2023	अंकेक्षित 31 मार्च, 2024	अंकेक्षित 31 मार्च, 2023
01	09242218A	ब्रेक सिलिंडर 355 एम एम	499 नग	19-06-24	
02	09242535	कार्ट स्टील बोल्टर	186 नग	20-06-24	
03	09242383	सेंटर विद्योत रिम	4177 नग	10-07-24	

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही अंकेक्षित 31 मार्च, 2024	समाप्त तिमाही अंकेक्षित 31 मार्च, 2023	समाप्त वर्ष अंकेक्षित 31 मार्च, 2024	समाप्त वर्ष अंकेक्षित 31 मार्च, 2023
1	प्रचालनों से कुल आय	19.348	19.267	68.340	32.983
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(21.712)	15.825	16.999	18.137
3	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(21.712)	15.825	16.999	18.137
4	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(21.712)	15.825	15.769	18.370
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(21.712)	15.825	(13.231)	15.769
6	इक्विटी शेयर कैपिटल	211.750	211.750	211.750	211.750
7	रिजर्व्स (पर्यन्त चर्च की अंकेक्षित कैलेंडर शीट में रचाये अनुसार पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)			335.369	319.600
8	अर्जन प्रति शेयर (रु. 10 प्रत्येक के) (वर्षिकृत नहीं)	(1.025)	0.747	(0.625)	0.745

टिप्पणी: उपरोक्त तालिका (लिटिंग ऑल्लोयेंस एवं घोषणा आवश्यकताएं) निगमों, 2015 के निगम 33 के तहत टॉक एक्सचेंज के चार दायर किये गये समाप्त तिमाहिक और वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्राप्य का एक सार है। अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्राप्य टॉक एक्सचेंज वेबसाइट पर उपलब्ध है। वे कम्पनी की वेबसाइट यथा www.sidhmanagement.in पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड हस्ता-दिनेश शर्मा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की आईएन: 07526355

SI.	Particulars	3 months ended (Audited) 31.03.2024	3 months ended (Reviewed) 31.12.2023	Corresponding 3 months ended in the previous year (Audited) 31.03.2023	Year to date figures for current year ended (Audited) 31.03.2024	Previous Accounting Year ended (Audited) 31.03.2023
1	Total Income from operations	369.29	377.38	441.86	1,532.59	1,824.19
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary Items)	65.47	(53.04)	178.72	267.86	233.83
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	65.47	(53.04)	178.72	267.86	233.83
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	49.02	(39.70)	168.87	201.86	(8.75)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	49.02	(39.70)	168.87	201.86	(15.94)
6	Equity Share Capital (face value of the share: Rs.10 each)	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per previous financial year	-	-	-	2,654.44	2,452.56
8	Earning per share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)	0.45	(0.36)	1.55	1.84	(0.08)
	1. Basic :	0.45	(0.36)	1.55	1.84	(0.08)
	2. Diluted :					

Notes:-  
1. The above is an extract of the detailed format of Financial Result for the quarter and year ended 31 March 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarter and annual financial results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and also on the Company's website www.sainkfinance.com  
2. The above financial result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 24 May, 2024.  
3. The auditor have carried out audit of the financials for the quarter and for the financial year ended on 31 March 2024 as required under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulation 2015 and the related unmodified Audit Report on the same forwarded to the Stock Exchanges.  
4. The figures for the 3 months ended on 31 March 2024 and corresponding 3 months ended on 31 March 2023 are balancing figure in respect of the full financial year and the year to date figures upto the third quarter of the respective financial years.  
5. Previous periods/years' figures have been regrouped /recasted wherever necessary.

For and on behalf of the Board  
Saink Finance & Industries Limited  
Sd/-  
Rudra Sen Sindhu  
Director  
(DIN-00068999)

Place: Gurugram (Haryana)  
Date: 24 May 2024